

Vol 4 Issue 3 Dec 2014

ISSN No : 2249-894X

*Monthly Multidisciplinary
Research Journal*

*Review Of
Research Journal*

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2249-894X

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Mabel Miao Center for China and Globalization, China
Kamani Perera Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka	Xiaohua Yang University of San Francisco, San Francisco	Ruth Wolf University Walla, Israel
Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Karina Xavier Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA	Jie Hao University of Sydney, Australia
Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	May Hongmei Gao Kennesaw State University, USA	Pei-Shan Kao Andrea University of Essex, United Kingdom
Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania	Marc Fetscherin Rollins College, USA	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Liu Chen Beijing Foreign Studies University, China	Ilie Pinte Spiru Haret University, Romania
Mahdi Moharrampour Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran	Nimita Khanna Director, Isara Institute of Management, New Delhi	Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai
Titus Pop PhD, Partium Christian University, Oradea, Romania	Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain
J. K. VIJAYAKUMAR King Abdullah University of Science & Technology, Saudi Arabia.	P. Malyadri Government Degree College, Tandur, A.P.	Jayashree Patil-Dake MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC), Kachiguda, Hyderabad
George - Calin SERITAN Postdoctoral Researcher Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	S. D. Sindkhedkar PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]	Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.
REZA KAFIPOUR Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran	Anurag Misra DBS College, Kanpur	AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI, TN
Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur	C. D. Balaji Panimalar Engineering College, Chennai	V.MAHALAKSHMI Dean, Panimalar Engineering College
	Bhavana vivek patole PhD, Elphinstone college mumbai-32	S.KANNAN Ph.D , Annamalai University
	Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play (Trust), Meerut (U.P.)	Kanwar Dinesh Singh Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org



कम्पनियों का सामाजिक उत्तरदायित्व

राजेश अग्रवाल

वाणिज्य विभागाध्यक्ष , गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर.

सारांश:

अप्रैल 2014 से कम्पनियों को अपने लाभ का 2% प्रतिशत निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) के तहत खर्च करना अनिवार्य हो गया है। अर्थात् समाज से लेने के बाद उस समय में उत्थान लाने के लिए देने की दिशा में बढ़ाया जाने वाला उल्लेखनीय कदम है और भारत पहला देश बना है जिसने कानूनी रूप से CSR को जारी कर एक निश्चित आकार की लाभ कमाने वाली कम्पनियों को अपने लाभ का एक छोटा हिस्सा समाज के उत्थान संबंधी कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित किया है।

प्रस्तावना :-

आदमी को दूसरे का धन और अपनी बुद्धि सदा बड़ी दिखाई देती है। इसलिये वह स्वेच्छा से अपना धन देना नहीं चाहता। साथ ही वह अपने बुद्धिबल का उपयोग उस धन को अपने ही पास रखे रहने के लिए करता है। वह अपने धन का उपयोग इधर-उधर निवेशित करने में, कभी वह उसे गहनों या सिक्कों के रूप में जमीन में गाड़ के रखने में, तो कभी वह उसे किसी को ब्याज पर उधार देने में करता। पर प्रत्येक परिस्थिति में बात तो यही रहती है कि वह धन न तो उसके शरीर का हिस्सा है, न आत्मा का। धरती खोदकर उसमें छुपाया धन भी लोग पता करके चुपके से निकाल लेते हैं- या सदियों बाद वह किसी और के हाथ लगता है।

ईश्वर पैसे कमाने की बुद्धि और कला, प्रत्येक को नहीं देता। अधिकतर तो पैसा ही पैसे को खींचता है और धनवान और अधिक धनवान बनता चला जाता है। उस समय उसका मनोविज्ञान भी बदल जाता है। लखपति, करोड़पति बनने के लिये जी-जान से लग जाता है, और करोड़पति, अरबपति।

एक कम्पनी कई कम्पनियों में बदल जाती है, और भाई-भतीजों की हिस्सेदारी से वह एक अमरबेल की भांति निगलने की कुव्वत भी रखती है।

दूसरी ओर, कहीं परिवारों को विरासत में घोर गरीबी मिलती है। घोर गरीबी उस परिस्थिति का नाम है, जिसमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी निरक्षरता, सम्पत्तिहीनता, शारीरिक कमजोरी, बीमारी, क्षेत्र का पिछड़ापन और उसकी क्षीण अधोसंरचना, और जनसमुदाय में व्याप्त नशे की आदतें भी मिलती हैं। समय के साथ ऐसे लोगों की परिस्थिति और भी बिगड़ती जाती है, जब उन्हें अपनी रही-सही सम्पत्ति और ताकत भी 'विकास' की बाढ़ के प्रवाह में झोंकनी पड़ती है। यह 'विकास' विशेषतः उन परिस्थितियों का द्योतक है, जिनमें निजी कम्पनियां, सार्वजनिक- अर्द्धसार्वजनिक उपक्रम, अपना उद्योग व कार्यालय स्थापित करने के लिए, उनकी जमीन, पेयजल के स्रोत, आवागमन के रास्तों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और दर्द देने वाली कम्पनियों से ही दवा मांगने का बन्दोबस्त कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) अथवा 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व' की धारणा के अन्तर्गत वर्ष 1965 से ही विचारित होने लगा था।

पहले पहल इस धारणा के तहत क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं थी। इतना अवश्य स्पष्ट होता था कि मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों को, उनकी बढ़ती जमीन और रोजगार खोलने वाले लोगों के भले के लिये बहुत से कल्याण के काम करने चाहिये-जैसे स्कूल, दवाखाना, बस स्टैण्ड, पेयजल आदि की व्यवस्था करना, आदि। परन्तु कम्पनियों ने भले ही दिखावे के लिए इसके तहत थोड़ा-कुछ कर दिया हो, उनका मन इसमें नहीं था,

उनका मुख्य ध्येय मुनाफा कमाना है। यदि कोई समाजसेवी संस्था बीच में पड़कर कुछ काम संभालना चाहे, तो वे उसे थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं, अन्यथा उनके पास इसके लिये कोई नजरिया नहीं था न ही कोई स्टॉफ इस विषय का जानकार होता था।

इधर पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के संविधान के व्यापक लक्ष्य-लोगों की आर्थिक विषमता दूर करने संबंधी प्रावधान के तहत सभी विभागों को अपने कार्यक्रम नियोजित करने थे।

सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों में मानव संसाधन व जनकल्याण से ताल्लुक रखने वाली नीतियों व कार्यक्रमों में एकरूपता रहे इसे सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम विभाग 70-80 के दशक से अस्तित्व में आ चुका था। वह केन्द्र सरकार के उपक्रमों को तो दिशा-निर्देश देता ही था राज्य सरकारों के नियम भी उसके सामान्य निर्देशों के अनुरूप चलते थे। यह बात अलग है कि राज्यों के निगमित निकायों में बहुत लाभ कमाना संभव नहीं हो पाता था जब कि केन्द्र के उपक्रम विशालकाय होते आए हैं – जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ओ.एन.जी.सी., एन.टी.पी.सी आदि। इनमें करोड़ों तथा अरबों रुपये का लाभ भी होता आया है। इसका अर्थ यह भी है कि इन्हें बड़े पैमाने पर लोगों का भला करना चाहिये, और यह मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि सुविचारित उद्देश्यों के लिये साफ सुथरी, निष्पक्ष व्यवस्था प्रणाली, व प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

अब इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि निगमित कम्पनियों की खुद की कानूनी बाध्यताएं कौन तय करता है। वस्तुतः ये कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती हैं। पहले इस अधिनियम में छः सौ से अधिक धारार्ये थीं और यह सुगठित नहीं था।

कम्पनियों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम 'कम्पनी अधिनियम 2012' को 18 दिसम्बर 2012 को लोकसभा में पारित किया गया था तथा 8 अगस्त 2013 (संसद के मानसून सत्र के दौरान) राज्यसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पश्चात् यह अब कम्पनी अधिनियम 1956 पुरानी और अपर्याप्त होने के कारण पिछले 57 वर्षों में कम से कम 25 बार संशोधित किया गया। कम्पनी अधिनियम 1956 से 658 वर्गों और 14 अनुसूचियों के मुकाबले कम्पनी अधिनियम 2013 में 29 अध्यायो, 470 धारा और 7 अनुसूचियों को शामिल किया गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 2009 में निगमित सामाजिक दायित्व स्वैच्छिक दिशा-निर्देश जारी किया था। इस दिशा निर्देश को अब कम्पनी अधिनियम 2013 में शामिल किया गया है और उसे कानूनी वैधता प्रदान किया गया है। नये कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 7 की धारा 135 के अनुसार, बृहद् कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अन्तर्गत अप्रैल 2014 से कम्पनियों को अपने लाभ का (2%) सामाजिक हितों से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी हो गया है। लंबे इन्तजार के पश्चात् सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देशों को फरवरी में ही अधिसूचित कर दिया था कि इसके अन्तर्गत खर्च देश के अंदर ही करना होगा। भारत में पंजीकृत विदेशी कम्पनियों भी इन नियमों के दायरे में आएगी। यह उन कम्पनियों पर प्रभावी हो रहा है जो न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का लाभ कमाने या 1000 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्न ओवर या 500 करोड़ रुपये के नेटवैरिथ वाली हैं। ऐसी कम्पनी को अपने 3 वर्ष के औसत लाभ का 2% प्रत्येक वित्त वर्ष में CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा। CSR के लिए कम्पनियों की योग्यता निर्धारित करने के मानकों में विदेश स्थित शाखाओं और भारत स्थित अन्य कम्पनियों से प्राप्त लाभांश को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि CSR परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निर्धारित खर्च में से कुछ राशि बचती है तो यह कम्पनियों के लाभ का हिस्सा नहीं होगा। कम्पनियों अपनी CSR गतिविधियों ट्रस्ट, सोसायटी या इनके लिए गठित अलग कम्पनी के जरिए चला सकती हैं। नियमों के अनुसार कोई भी कम्पनी CSR गतिविधियों को दूसरी कम्पनी के साथ मिलकर भी चला सकती है लेकिन उस पर आने वाला व्यय का विवरण अलग से प्रस्तुत करना होगा।

क्या है शामिल –

इस नियम के दायरे में आने वाले कम्पनियों को 'कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति' का गठन करना होगा। यह समिति 3 या अधिक निदेशकों का समावेश करने के लिए जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए जो समिति के गतिविधियों सहित नीति तैयारी करेगा जो अनुसूची 7 में दिया गया है इस सूची के अनुसार निम्नांकित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है-

- ✦ घोर भुखमरी, गरीबी व कुपोषण दूर करने के लिये, तथा स्वास्थ्य व स्वच्छता तथा पेयजल की उपलब्धता के लिए।
- ✦ शिक्षा के विकास, जिसमें ऐसी विशेष शिक्षा भी शामिल है। जिससे कोई व्यावसायिक हुनर मिल सके- बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं व विकलांगों के रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
- ✦ स्त्री-पुरुषों के आर्थिक- सामाजिक जीवन में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए प्रयास, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं तथा अनाथ लोगों के लिए आवास स्थापित करना, वृद्धाश्रम खोलना, वृद्धों के लिए दिन के समय देखभाल की व्यवस्था करना, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हित में ऐसी व्यवस्थाएं करना जिससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके।

- ✦ पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के प्रयास, तथा प्रकृति व प्राणियों में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से उठाए गए कदम, पशु-कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, भूमि, जल एवं वायु को सुधारने के लिए करना।
- ✦ राष्ट्रीय धरोहरों, कला तथा संस्कृति की सुरक्षा, जिनमें शामिल हैं इमारतों तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की मरम्मत, सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण, पारम्परिक कला-कौशल की वस्तुओं तथा शिल्पों को प्रोत्साहन।
- ✦ भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को तथा उन पर निर्भर लोगों की सहायता के उपाय।
- ✦ गाँव में लोकप्रिय खेलों में लोगों को प्रशिक्षित करना तथा उनका प्रोत्साहन, साथ ही ओलम्पिक तथा अर्द्ध ओलम्पिक खेलों के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ✦ प्रधानमंत्री सहायता कोष तथा राज्यों में स्थापित आर्थिक सामाजिक प्रयोजनों के लिए स्थापित अन्य सहायता कोषों में योगदान देना, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास व कल्याण के लिये योगदान देना।
- ✦ भारत सरकार के लिये अध्ययनरत संस्थाओं, अकादमियों को अनुदान देना।
- ✦ ग्रामीण विकास के लिये परियोजनाएं। इस बारे में कम्पनियों को अपने बोर्ड के कम से कम 3 संचालकों की समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ये शामिल नहीं :

1. राजनीतिक चंदा इस दायरे में नहीं आता है।
2. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जारी इस दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनियों सी.एस.आर. के खाते से राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकेगी। पार्टियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से की गई वित्तीय सहायता सी.एस.आर. की श्रेणी में नहीं आयेगी।
3. पिछले वर्ष ही सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने का नया ढांचा पेश किया था। इसके तहत कम्पनियों चुनाव ट्रस्ट बनाकर पार्टियों को चंदा दे सकती है। अंबानी, टाटा बिड़ला, मित्तल समेत करीब 18 कॉर्पोरेट घरानों ने ऐसे ट्रस्ट बनाये।

निष्कर्ष –

इस प्रकार से स्पष्ट है, कि कई क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए सी.एस.आर. के अन्तर्गत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अब भारत सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि टैक्स भरने के बाद प्राप्त विशुद्ध मुनाफे का न्यूनतम 2 प्रतिशत हर वर्ष कम्पनियों को जनकल्याण के लिये खर्च करना ही चाहिये। यदि यह खर्च नहीं होता तो उन्हें अपने प्रतिवेदन में इसके कारण बताने होंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 के CSR नवप्रवर्तन की एक अच्छी पहल है। इस अधिनियम के दायरे में अगले वित्त वर्ष से लगभग 16000 कम्पनियों को अपने लाभ का न्यूनतम हिस्सा सामाजिक कार्यों पर खर्च करना होगा। जिनसे लगभग 28000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम आम लोगों की अहम जरूरत के काम आयेगी।

संदर्भ ग्रंथ :

1. दैनिक समाचार पत्र – पत्रिका, दैनिक भास्कर दिनांक 01/04/2014 तक
2. कम्पनी अधिनियम 203 अनुसूची 7
3. डॉ. राजेश अग्रवाल – गुरुकुल शोध सृजन – पेज नं. 44-45
विषय “कम्पनी अधिनियम 2014 के नवप्रवर्तन की एक पहल”
4. दैनिक समाचार पत्र – देशबंधु 3 अक्टूबर
5. गूगल सर्च –

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Books Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ Directory Of Research Journal Indexing
- ★ International Scientific Journal Consortium Scientific
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org